

प्रेषक,

श्री सुबोध नाथ झा,
प्रमुख सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष
जिला नगरीय विकास अभिकरण,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ दिनांक 06 नवम्बर, 1998

नगरीय रोजगार एवं
गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
अनुभाग,

विषय : सूडा द्वारा संचालित शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रमों
के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

अवगत है कि सूडा द्वारा संचालित विभिन्न जन-कल्याणकारी एवं गरीबोन्मुखी विकास का कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जनपद स्तर पर जिला नगरीय विकास अभिकरण (दूड़ा) द्वारा किया जा रहा है। उक्त संचालित कार्यक्रमों में समयशीलता, गतिशीलता, पारदर्शिता, गुणवत्ता आदि का ध्यान रखे जाने तथा अन्य सेकटोरल विभागों से डबटेलिंग / अभिकरण एवं कनवरजेन्स की प्रतिमाह बैठकें सुनिश्चित करने हेतु समय-समय पर निर्देश जारी किये गये हैं।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन के स्पष्ट आदेशों के उपरान्त भी कठिनपय जनपदों द्वारा उपर्युक्त आदेशों का गम्भीरतापूर्वक अनुपालन नहीं किया जा रहा है। सेकटोरल विभागों से डबटेलिंग एवं कनवरजेन्स से संबंधित बैठकों के कार्यवृत्त सूडा एवं शासन को उपलब्ध नहीं कराये जा रहे हैं। यथा सम्बव यह बैठक दूड़ा द्वारा विभिन्न "कम्प्यूनिटी-सेन्टर" में अथवा चयनित मलिन बस्ती जहाँ समग्र विकास किया गया हो अथवा किया जा रहा है में भी आयोजित की जा सकती है। प्रदेश मुख्यालय पर यह प्रयास सफलतापूर्वक किया भी योजित है। अतः अनुरोध है कि निर्देशानुसार कनवरजेन्स की बैठकें प्रतिमाह सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस.एन. झा)

प्रमुख सचिव

संख्या-2174 (1) / 69-1-98-68 एन.आर.वाई. / 94 टी.सी. तददिनांक

प्रतिलिपि निदेशक, राज्य नागर विकास अभिकरण, उ.प्र. को सूचनार्थ एवं
आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(हेमलता ढौङ्डियाल)

संयुक्त सचिव